न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :–62/2022/जिला भीलवाड़ा

मोहनपुरी पुत्र नानूपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम सोपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 02.05.2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 132/2020 बउनवानी सरकार बनाम मोहनपुरी में पारीत किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत (वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांक:–31.10.2022

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सोपुरा के आराजी नम्बर 360/3 रकबा 1 बीघा भूमि अपीलांट मोहनपुरी पिता नानूपुरी को आवंटन की गई थी। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहा प्रस्तुत किया गया जो बाद में अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा को क्षेत्राधिकार में होने से वहां भिजवाया गया था। जहां पर प्रकरण संख्या 132/2020 के रूप में दर्ज किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया गया है तथा मौके पर उसका कब्जाकाश्त नहीं है। भूमि बिलानाम सरकार दर्ज की जाये। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा अपीलांट का कब्जाकाश्त नहीं मानते हुए तथा आवंटन की शर्तों का उल्लघंन होने से अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया गया तथा भूमि को बिलानाम दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है–

1. बिना प्रार्थी को सुने निर्णय किया गया।
2. आवंटन 2010 में किया गया था, अब प्रार्थी खातेदार हो चुका है।
3. सिर्फ पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया गया है जो गलत है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:13:51 IST
Reason: SelfAttested

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल प्रस्तुत किया गया था। अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये

गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की प्रोसिडिंग प्रकरण संख्या 8/2019 दिनांक 12.04.2019 से दिनांक 02.05.2022 निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 132/2020 तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा में अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तावित धारा 14(4) का प्रार्थना पत्र, रिपोर्ट पटवारी दिनांक 25.05.2018, तहसीलदार की टिप्पणी दिनांक 01.04.2018 जमाबंदी ग्राम सोपुरा 2069–72 ग्राम सोपुरा खाता संख्या नया 181, खसरा गिरदावरी खसरा संख्या 360/3 संवत 2073–76, तहसीलदार का पत्र क्रमांक 28.02.2019 का अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बाबत बिन्दु पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2022 का है तथा अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 21.06.2022 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। अतः अपील मियाद अवधि में शुमार की जाती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, वकील अपीलांट के अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा हमें सम्मन नहीं किया जाकर निर्णय कर दिया गया है तथा हमें जवाब, गवाही का अवसर नहीं दिया गया। भूमि बंजड़ है तथा इसमें काश्त किया जाना मानसून के उपर निर्भर होता है। खसरा गिरदावरी में तिल बोया जाना पाया गया है। अतः अपील स्वीकार की जायें। राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान बताया कि वकील अपीलांट को एकपक्षीय आदेश को चुनोती देने के लिए उसी अधीनस्थ न्यायालय में जाना पड़ेगा। दिनांक 13.12.2021 को उन्हें जवाब का अवसर दिया गया था तथा दिनांक 30.03.2022 को इनका जवाब बंद कर दिया गया।

तहसीलदार द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28.02.2019 के अनुसार मोहनपुरी के आवंटन बाबत पत्रावली तहसील कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं बताया गयी। गिरदावरी संवत 2073 ग्राम सोपुरा के अनुसार खसरा नम्बर 360/3 रकबा 1 बीघा में तिल बोया जाना पाया जाता है। तहसीलदार द्वारा अपने प्रकरण में यह बताया कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कभी कोई काश्त नहीं की तथा खातेदारी की पात्रता नहीं रखता है। भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा दिनांक 25.05.2018 को जो रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी गई है। उसमें स्वयं में संवत 2073 में तिल बोया जाना बताया है। मगर तहसीलदार द्वारा फिर भी आवंटन निरस्तीकरण बाबत अनुशंषा बनाकर भेजी गई। ए0डी0एम भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 02.05.2022 को उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा मूल रूप से पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का कब्जाकाश्त नहीं होना तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होने को आधार मानते हुए भूमि को बीलानाम दर्ज करने का आदेश देते हुए भूमि को कब्जाराज देने का आदेश जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh
Date: 2023.01.09 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रोसिडिंग दिनांक 13.12.2021 को देखा गया। उसमें यह अंकित किया हुआ है **''पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस हेतु दिनांक 18.01.2022 को पेश हों''।**

दिनांक 30.03.2022 की प्रोसिडिंग के अनुसार यह अंकन किया हुआ है कि **''पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित विपक्षी ने जवाब पेश नहीं किया। जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 04.04.2022 को पेश हों''**

वकील अपीलांट द्वारा बहस में यह बताया था कि उन्हें जवाब बयान एवं गवाही का अवसर नहीं दिया गया। वह उपर अंकित प्रोसिडिंग दिनांक 13.12.2021 और 30.03.2022 के अवलोकन से गलत जान पड़ता है। वकील अपीलांट द्वारा उक्त आक्षेप की पुष्टि पत्रावली के अवलोकन (प्रोसिडिंग) से सिद्ध नही होता है।

मगर अपीलांट द्वारा संवत 2073 में तिल की काश्त किया जाना खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है तथा उक्त तथ्य का अवलोकन किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। जो उचित नहीं हैं। चूंकि संबंधित गिरदावर द्वारा इस बात को अपने हस्ताक्षर के माध्यम से पटवारी रिपोर्ट में अंकित किया है। इसी रिपोर्ट को तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.06.2018 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा को प्रेषित की गई थी।

पत्रावली के समग्र अवलोकन, बहस बिन्दुओं से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व संवत 2073 में अपीलांट द्वारा आवंटित खसरा नम्बर में तिल की काश्त की गई थी। यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काश्त नहीं किया जाना बताया गया जो गलत है। अपीलाधीन आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार से आवंटन नियमों की अवहेलना की गई है। आवंटन आदेश के अगले तीन वर्षों में क्या आवंटी द्वारा काश्त की गई अथवा नहीं की गई, बाबत बिन्दु गिरदावरी का अध्ययन कर अपने निर्णय में आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए था। अतः अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना उचित नहीं होगा। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय को नियमों के अनुरूप परीक्षण कर अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित होगा।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम दिनांक 02.05.2022 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 132/2020 को अपास्त किया जाता है। पुनः नियमों के संदर्भ में उचित परिक्षण कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:43:51 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर